73

[2022] 3 एस सी आर 73

ए.

इंद्रजीत यादव बनाम.

संतोष सिंह और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 577) अप्रैल 19,2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

अभ्यास और प्रक्रिया-बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के अंतिम आदेशों की घोषणा, पदच्युत-उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की अपीलों को स्वीकार करते हुए आदेश के परिचालन भाग को घोषित किया और निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार कर दिया और जेल में बंद अभियुक्त को रिहा करने का निर्देश दिया, लेकिन लगभग पांच महीने के बाद एक तर्कपूर्ण निर्णय और आदेश सुनाया गया-अपील पर, कहा गयाःवर्ष 1984 में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई कठोर टिप्पणियों के बावजूद और उसके बाद बार-बार दोहराया गया, फिर भी बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के केवल कार्यात्मक भाग का उच्चारण करने और बाद में एक तर्कपूर्ण निर्णय पारित करने की प्रथा जारी है-बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के अंतिम आदेश देने की ऐसी प्रथा को रोका और हतोत्साहित किया जाना चाहिए-तथ्यों पर, लगभग पांच महीने की अवधि के बाद उच्च न्यायालय द्वारा एक तर्कपूर्ण निर्णय सुनाया और अपलोड किया गया था-उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश तदनुसार रद्द कर दिया गया-कानून और गुण-दोष के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को भेजे गए अपील-भारतीय दण्ड संहिता सी.s.302 r/wऽ34.बालाजी बलिराम मुपाडे और अन्न बनामराज्य की

सी.

डी.

ई.

एफ.

महाराष्ट्र **[**उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक **29-10 -**

2020 2020 की सिविल अपील संख्या 3564 में]; की स्थिति

पंजाब और ओआरएस बनामजगदेव सिंह तलवंडी **(1984) 1** एस**.** सी**.** सी**. 596: [1984] 2** एससीआर **50** और अनिल राय बनाम बिहार राज्य**,**

(2001) 7 एससीसी **318:[2001] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 298-**संदर्भित।

जी.

मामला कानून संदर्भ

[1984] 2 एससीआर **50**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.1**

[2001] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 298** पैरा **3.1** ए**.**

एच.

73

74

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 3 एस सी आर।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील No.577।

2012 के आपराधिक अपील No.1083 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.03.2019 से।

के साथ

बी.

2022 की आपराधिक अपील No.578।

दिव्येश प्रताप सिंह, शशांक सिंह, मोहम्मद।असद खान, अनुपम चौधरी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

राज कुमार चौहान, सुश्री संगीता चौहान, चंदन के. पांडे, देवेंद्र कुमार शुक्ला, सुश्री सृष्टि सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 2012 की आपराधिक अपील और 2012 की आपराधिक अपील में पारित किए गए विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और

असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त द्वारा की गई उक्त अपीलों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया है, मूल शिकायतकर्ता/मुखबिर ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

डी.

ई.

2. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता -मूल शिकायतकर्ता/मुखबिर और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि वर्तमान मामले में अपीलों में दलीलें उसी दिन समाप्त हो गईं और उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को उसी दिन स्वीकार कर लिया और आदेश के परिचालन भाग को घोषित कर दिया और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार कर दिया और जेल में बंद अभियुक्त को रिहा करने का निर्देश दिया, लेकिन लगभग पांच महीने की अवधि के बाद एक तर्कपूर्ण निर्णय और आदेश सुनाया गया।

एफ.

जी.

3.1 अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता -मूल शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले ने इसके हाल के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

ए मामले में 2020 की सिविल अपील No.3564 में न्यायालय दिनांक 29.10.2020

एच.

75

इंद्रजीत यादव वी. संतोश सिंह और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

बालाजी बलिराम मुपाडे और अन्र बनाम महाराष्ट्र राज्य,

जिसके द्वारा बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के अंतिम आदेश का उच्चारण करने की ऐसी प्रथा की निंदा की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामले में इस माननीय न्यायालय ने मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर विचार किया

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगदेव सिंह तलवंडी, (1984)

1 एस**.** सी**.** सी**. 596** के साथ**-**साथ उक्त निर्णय के पैरा **4** में निर्दिष्ट अन्य निर्णय।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने एक अन्य पर भी विस्तार से विचार किया

बी.

अनिल राय बनाम बिहार राज्य के मामले में निर्णय, (2001) 7 एस. सी. सी.

318 जिनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्णयों और आदेशों की घोषणा के संबंध में दिशा**-**निर्देश जारी किए गए हैं।

4. बालाजी बलिराम मुपाड़े **(**ऊपर**)** के मामले में निर्धारित कानून और जगदेव सिंह तलवंडी **(**ऊपर**)** के मामले में इस अदालत के पहले के फैसलों को मामले के तथ्यों पर लागू करना**,** उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है।

सी.

4.1 पैराग्राफ में बालाजी बलिराम मुपाडे (ऊपर) के मामले में

1 4 तक यह निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता है:"1. न्यायिक अनुशासन के लिए निर्णयों के वितरण में शीघ्रता की आवश्यकता होती है-एक ऐसा पहलू जिस पर इस न्यायालय द्वारा बार-बार जोर दिया जाता है।समस्या और बढ़ जाती है जहाँ परिणाम ज्ञात होता है लेकिन कारण नहीं।यह किसी भी पीड़ित पक्ष को न्यायिक जांच के अगले स्तर में न्यायिक निवारण की मांग करने के अवसर से वंचित करता है।

डी.

ई.

2. वर्ष 1983 में पंजाब राज्य और अन्य मामलों में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। जगदेव सिंह तलवंडी-1984 (1) एस. सी. सी. 596 ने उच्च न्यायालयों का ध्यान उन गंभीर कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जो एक ऐसी प्रथा के कारण उत्पन्न हुई थीं जिसे कई उच्च न्यायालयों द्वारा तेजी से अपनाया जा रहा था, जो बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के अंतिम आदेश 2 का उच्चारण करना था।संबंधित अनुच्छेद को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

एफ.

"30. हम इस अवसर पर यह इंगित करना चाहते हैं कि उच्च न्यायालयों द्वारा बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के अंतिम आदेश देने की प्रथा के कारण गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।यह वांछनीय है कि जिस अंतिम आदेश को उच्च न्यायालय पारित करना चाहता है, उसकी घोषणा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि एक तर्कपूर्ण निर्णय घोषणा के लिए तैयार न हो जाए।उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी

तर्कपूर्ण निर्णय के एक अंतिम आदेश की घोषणा की जाती है कि एक घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, या कि अभिरक्षा

जी.

एच.

76

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 3 एस सी आर।

किसी बच्चे को दूसरे के खिलाफ एक माता-पिता को सौंप दिया जाएगा, या कि किसी गंभीर आरोप के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया गया है, या कि कोई क़ानून असंवैधानिक है या, तत्काल मामले में, कि किसी बंदी को हिरासत से रिहा किया जाए।यदि इस तरह के आदेशों को पारित करने का उद्देश्य उनका शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करना है, तो उस उद्देश्य को अक्सर पीड़ित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके विफल कर दिया जाता है।यह इस न्यायालय को एक संकट में डालता है क्योंकि उच्च न्यायालय के तर्क के लाभ के बिना, इस न्यायालय के लिए नंगे आदेश को लागू करने की अनुमति देना मुश्किल है।परिणाम अनिवार्य रूप से यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संचालन पर तर्कपूर्ण निर्णय दिए जाने तक रोक लगानी होगी।"

बी.

सी.

3. इसके अलावा, बहुत बाद में लेकिन अभी भी लगभग दो दशक पहले, अनिल राय बनाम बिहार राज्य-2001 (7) एस. सी. सी. 318 मामले में इस न्यायालय ने निर्णयों की घोषणा के संबंध में कुछ दिशानिर्देश प्रदान करना उचित समझा, यह उम्मीद करते हुए कि इस न्यायालय के अधिदेश के तहत सभी संबंधित लोगों द्वारा उनका पालन किया जाएगा।निर्देशों को दोहराना आवश्यक नहीं है सिवाय इसके कि यह कहा जाए कि आम तौर पर निर्णय दलीलों के समापन के दो महीने के भीतर अपेक्षित है, और तीन महीने की समाप्ति पर कोई भी पक्ष जल्दी निर्णय के लिए अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय में आवेदन दायर कर सकता है। यदि, किसी भी कारण से, छह महीने तक कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता है, तो किसी भी पक्ष को उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नए तर्कों के लिए किसी अन्य पीठ के समक्ष मामले को फिर से सौंपने के अनुरोध के साथ आवेदन करने का अधिकार है।

डी.

ई.

4. उपरोक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर बलपूर्वक दोहराया गया है, जिसमें ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्य बनाम.गुजरात राज्य और अन्य। [ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3467 पैरा 80-82], मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य (2008) 7 एस. सी. सी. 96 पैरा 5-10 और हाल ही में अजय सिंह और अन्र में। आदि. वी.छत्तीसगढ़ राज्य और अन्र-ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 310।"

एफ.

4.2 इस न्यायालय द्वारा वर्ष 1984 में की गई कठोर टिप्पणियों और उसके बाद बार-बार दोहराई गई टिप्पणियों के बावजूद, अभी भी बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के निर्णय के केवल परिचालन भाग को घोषित करने और बाद में एक तर्कपूर्ण निर्णय पारित करने की प्रथा जारी है।बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के अंतिम आदेश देने की इस तरह की प्रथा को रोका और हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

77

इंद्रजीत यादव वी. संतोश सिंह और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4.3 तत्काल संदर्भ के लिए वर्तमान मामले में पारित आदेश अपने लिए बोलता है।उच्च न्यायालय ने 30.03.2019 पर दलीलें सुनीं और उस दिन केवल निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"श्री वी. एम. जैदी, वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता से श्री एम. जे. अख्तर, 2012 की आपराधिक अपील संख्या 1083 में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और श्री सुनील कुमार, 2012 की संबंधित आपराधिक अपील संख्या 1178 में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता , श्री जे. के. उपाध्याय, राज्य के लिए ए. जी. ए. और श्री पी. सी. श्रीवास्तव, सूचना देने वाले के विद्वान अधिवक्ता ।

बी.

हम यहाँ और अब ऑपरेटिव ऑर्डर बना रहे हैं।हम बाद में कारण देंगे।

सी.

दोनों अपीलों की अनुमति है।अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, आजमगढ़ द्वारा 2009 की धारा संख्या 151 में पारित दिनांक 1 का विवादित निर्णय और आदेश एतद्वारा निर्धारित किया गया है।

डी.

2012 की आपराधिक अपील संख्या 1083 में अपीलार्थी संतोष सिंह जमानत पर है।उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।उसके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और उसके प्रतिभूओं को रिहा कर दिया जाता है।

2012 की संबंधित आपराधिक अपील संख्या 1178 में अपीलार्थी अवधेश सिंह उर्फ छुन्नू सिंह जेल में है।उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

ई.

दोनों अपीलार्थीगण आज से एक महीने के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के प्रावधानों का पालन करेंगे।

हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

4.4 कार्यवाही के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि तर्कपूर्ण निर्णय लगभग पाँच महीने की अवधि के बाद सुनाया और अपलोड किया गया था।इसलिए, ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, हम मामले के गुण-दोष में आगे प्रवेश किए बिना और न ही किसी भी पक्ष के पक्ष में गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर देते हैं।हम कानून के अनुसार और उसके गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को अपील भेजते हैं।हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपीलों पर जल्द से जल्द और अधिमानतः निर्णय ले और उनका निपटारा करे।हालांकि, यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है

एफ.

जी.

एच.

और उन्हें जमानत पर रिहा किया गया माना जा सकता है और जमानत पर रिहा किया जाना जारी रखा जा सकता है, हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों के अंतिम परिणाम के अधीन।यदि दोषसिद्धि कायम रहती है तो अभियुक्त निर्णय की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण कर देगा।

वर्तमान अपीलों को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।रजिस्ट्री को मामले की कार्यवाही का रिकॉर्ड तुरंत उच्च न्यायालय को वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

बी.

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.